न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 123/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, ए0यू0स्माल फाइनेन्स बैंक लि0(जो पूर्व में ए0यू0फाईनेन्सियर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता है) पंजीकृत पता 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़–जयपुर

— प्रार्थी

बनाम

1.श्री पारसमल पिता कालू कुम्हार निवासी सालरमाला त0आसीन्द जिलाभीलवाड़ा
द्वितीय पता–श्री पारस कुम्हार खाता सं0 212 आ0नं0 3994 ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा त0 आसीन्द
2.श्रीमती सुगना देवी पत्नि पारसमल कुम्हार निवासी सालरमाला त0 आसीन्द
3.श्री कमलेश कुमार वैष्णव पिता ओमप्रकाश वैष्णव नि0 गोपालद्वारा रोड़ माण्डल
4.श्री पुष्करलाल पिता घीसूलाल खटीक नि0 वार्ड नं0 10 खटीकों का मोहल्ला, भगवानपुरा जिला भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश

दिनांक : 06/08/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, ए0यू0स्माल फाइनेन्स बैंक लि0 19–ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द में श्री पारसमल पिता कालूराम कुम्हार, राजी बेवा काना माली, सीता पत्नि नोरतमल सिसोदिया(महाजन), उदा नारायण पिता भैरू माली, हेमराज पिता मोहनलाल छापरवाल, हजारी पिता रामचन्द्र माली, भैरू पिता मांगू गुर्जर, हीरालाल पिता भैरू माली निवासी सालरमाला वगैरह की संयुक्त खातेदारी की आ0नं0 3994 रकबा 1. 21 हैक्टेयर में से 162 वर्गमीटर भूमि का तहसीलदार आसीन्द की पत्रावली संख्या संपरिवर्तन/4/2012 दिनांक 31.12.2012 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। उक्त संपरिवर्तित रकबे को श्री हीरालाल पिता भैरू माली निवासी हरिपुरा त0 माण्डल ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 18.12.2007 से अप्रार्थी सं0 1 श्री पारसमल पिता कालूराम कुम्हार को विक्रय किया जो ना0सं0 515 दिनांक 17.02.2013 से 0.0162 हैक्टर दर्ज हो

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

स्वामित्व प्राप्त किया जिसे रहन रखा गया । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा